

5/9/24 पत्रावली पेची में ली गई। वही रघुवीर न वाडपरा
 पेश कर निवेदन मांगित हुए आयय का किया
 किया कि चक 32 म.प.र खाला नं. 98/348
 में वही के नाम 0.607 ई. एकका कर्ज राजस्व
 रिपोर्ट है उक्त खाला में वही का नाम
 रघुवीर- कर्ज राजस्व रिपोर्ट है जो गलत है,
 वही का सही नाम रघुवीर सिंह है।
 वाक पत्र कर्ज रजिस्टर का तहसीलपाल इंदुमानागढ़
 से मौका रिपोर्ट प्राप्त है। म.प.र म.म.म के
 पत्रांक LR/2899 डिगंक 31/11/23 द्वारा प्राप्त
 रिपोर्ट का अवलोकन किया। वही वही पक्ष
 खुली गई। पत्रावली मौजूद दस्तावेज तथा
 आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया।
 प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पाद स्वीकार कर
 आदेश दिए जाते हैं कि चक 32 म.प.र खाला
 नं. 98/348 में कर्ज खातेदार रघुवीर पुरा भगवाना
 की जगह रघुवीर सिंह पुरा भगवानाराम कर्ज के
 राजस्व रिपोर्ट कुकलत किया जाये। इसी अधिका
 तहसीलपाल इंदुमानागढ़ राजस्व रिपोर्ट में नाम
 दुकाली रूपसे। निर्णय आज डिगंक 5/9/24
 को एडुले प्रमाणित सुनाया गया। पत्रावली नंबर
 से कर की जाकर काबिल दफ्तर की जाये।


 (Signature)
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपखण्डाधिकारी
 इंदुमानागढ़